जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना मण्डावली **दिनाँक 22.08.2026**

थाना मण्डावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 93/2026 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को चोरी किये गये स्टार्टर व नलकूप तार सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना व कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.08.2026 को वादी जयवीर पुत्र स्व0 हरकेश सिंह निवासी ग्राम गुढ़ा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर द्वारा थाना मण्डावली पर तहरीर दी गयी कि किसी ने उसके नलकूप से स्टार्टर एवं तांबे का तार चोरी कर लिये है। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 093/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान दिनांक 21.08.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना मण्डावली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त हिमांशु पुत्र आशेराम निवासी ग्राम नारायणपुर रतन टाण्डा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को चोरी के स्टार्टर एवं तांबे के तार सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

हिमांशु पुत्र आशेराम निवासी ग्राम नारायणपुर रतन टाण्डा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री दयानन्द थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
2. हे0का0 820 कालूराम थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3. का01346 विजयपाल, थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
4. का0 2582 गौरव थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
5. का0 2782 निशान्त थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 21.08.2026**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 208/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को चोरी की गयी ई-रिक्शा,उसके पार्ट्स, 04 बैटरे व अन्य सामान सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.08.2026 को वादी श्री छत्रपाल सिंह पुत्र स्व0 गुल्लू सिंह निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त आबिद पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम महमूदपुर बाबता थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र की ई-रिक्शा चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 208/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

दिनांक 22.08.2026 को थाना हल्दौर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आबिद को चोरी की ई-रिक्शा(UP20BT 9697) के खुले हुए पार्ट्स एवं 04 बैटरी सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आबिद पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम महमूदपुर बाबता थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 208/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 307/2023 धारा 379/411/420/468 भादवि थाना कोतवाली देहात, बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 313/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात, बिजनौर।
4.मु0अ0सं0 315/2023 धारा 323/498ए/504/506 भादवि व ¾ दहेज अधि0 थाना नहटौर, बिजनौर।
5.मु0अ0सं0 256/2023 धारा 120बी/328/379/411/414/420/468 भादवि थाना नगीना देहात, बिजनौर।
6.मु0अ0सं0 273/2023 धारा 328/379/411 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

एक खुली हुई ई-रिक्शा की बॉडी, 04 बैटरे एवं ई-रिक्शा के विभिन्न पार्ट्स, जिनमें मोटर, एक्सल, अगला हिस्सा, शॉकर, जाल, ब्रेकशू, कमानी, लाइट, हैंडल, वायरिंग, मीटर, कन्ट्रोल, चाबी, पेचकस, टायर आदि तथा ई-रिक्शा के लोन अकाउंट स्टेटमेंट की छायाप्रति बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 गुरुचरण सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3.का0 2561 निर्दोष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
4.का0 1389 ओमवीर सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट -थाना अफजलगढ दिनांकः-20.08.2026

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर (एच0एस0 नं0-133A) को फर्जी पासपोर्ट एवं फर्जी आधार कार्ड सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.08.2026 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मजार कट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ एंव यक्ष ऐप से फोटो मिलान एवं स्थानीय स्तर पर पहचान कराए जाने पर उसकी पहचान इस्लामुद्दीन (हिस्ट्रीशीटर संख्या 133A) पुत्र शमसुद्दीन निवासी मौ0 मियाजी मौखा, कस्बा व थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर के रूप में हुई, जो करीब 25-26 वर्षों से अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर रह रहा था।

तलाशी से उसके कब्जे से एक पासपोर्ट एवं एक आधार कार्ड बरामद हुए, जिनमें फर्जी नाम-पता अंकित पाया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा फर्जी नाम-पते से आधार कार्ड एवं पासपोर्ट बनवाकर अपनी वास्तविक पहचान छिपाने तथा पूर्व के मुकदमों में सजा से बचने के लिए इस प्रकार रहने की बात बतायी गयी। उक्त कृत्य के आधार पर धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इस्लामुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन निवासी मौ0 मिया जी मोखा कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 276/96 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 305/97 धारा 394 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 198/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

बरामदगी-

एक पासपोर्ट एवं एक आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री मृदुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
3.का0 2502 विशाल मलिक थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर